इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 372] भोपाल, बुधवार, दिनांक 9 सितम्बर 2015—भाद्र 18, शक 1937

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 9 सितम्बर 2015

सूचना

क्र. एफ-11-10-2015-उन्तीस-2.—मध्यप्रदेश कृषि गोदाम नियम, 1961 में संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप जिसे कि राज्य सरकार मध्यप्रदेश एग्रीकल्चर वेयर हाउस एक्ट, 1947 (क्रमांक 1 सन् 1948) की धारा 24 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, बनाना प्रस्तावित करती है, उक्त अधिनियम की धारा 24 की उपधारा (1) द्वारा अपेक्षित किए गये अनुसार, एतद्द्वारा उन समस्त व्यक्तियों की, जिनके कि उससे प्रभावित होने की संभावना है, जानकारी के लिये, एतद्द्वारा, प्रकाशित किया जाता है और एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि नियमों के उक्त प्रारूप पर मध्यप्रदेश राजपत्र में इस सूचना के प्रकाशित होने की तारीख से तीस दिन का अवसान होने पर विचार किया जाएगा.

किसी भी ऐसी आपत्ति अथवा सुझाव पर, जो कि उक्त संशोधन प्रारूप के संबंध में, किसी ऐसे व्यक्ति से ऊपर विनिर्दिष्ट कालावधि का अवसान होने के पूर्व आयुक्त, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय, विंध्याचल भवन, भोपाल को प्राप्त हो, राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाएगा.

प्रारूप संशोधन

उक्त नियमों में.—

1. नियम 4 में, उप नियम (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उप नियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(2) ऐसा आवेदन पत्र, विहित प्राधिकारी के कार्यालय में ऑनलाइन अथवा आवेदक या उसके अभिकर्ता द्वारा व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत किया जाएगा या विहित प्राधिकारी को संबोधित पंजीबद्ध डाक द्वारा भेजा जाएगा. विहित प्राधिकारी आवेदन केवल ऑनलाइन प्रस्तुत करा सकेगा."

2. नियम 10 का लोप किया जाए.

3. नियम 48 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"**48. गोदाम संबंधी जानकारी का विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शन.**—गोदाम प्रबंधक को प्रदाय की गई अनुज्ञप्ति साथ ही साथ उसके निलंबन या रद्दकरण को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा."

4. नियम 49 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"**49. गोदाम का ग्रहण किया जाना.**—यदि किसी गोदाम प्रबंधक की अनुज्ञप्ति को निलंबित करने या उसके रद्दकरण पर विहित प्राधिकारी की यह राय है कि गोदाम को ग्रहण कर लिया जाना चाहिए तो वह गोदाम को ग्रहण कर सकेगा और मध्यप्रदेश वेयर हाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक कार्पोरेशन को गोदाम प्रबंधक के व्यवसाय के संचालन के लिये आदेश में विनिर्दिष्ट किए जाने वाली कालावधि तक के लिये जो कि स्कंध की निकासी तक के लिये होगी, नियुक्त कर सकेगा.".

5. नियम 50 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"**50. अनुज्ञप्ति का पुनःस्थापन या नई अनुज्ञप्ति का जारी किया जाना.**—आदेश में विनिर्दिष्ट अवधि का अवसान होने पर, विहित प्राधिकारी, यदि वह यह पाता है कि अनुज्ञप्ति के निलंबन या रद्दकरण का कोई कारण नहीं है तो वह यथास्थिति अनुज्ञप्ति को पुनःस्थापित कर सकता है या नई अनुज्ञप्ति जारी कर सकता है.".

6. नियम 52 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"**52. विहित प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञप्तियों के रजिस्टर का संधारण.**—विहित प्राधिकारी उसके द्वारा जारी की गई अनुज्ञप्तियों का ऑनलाइन अभिलेख संधारित करेगा तथा यह पब्लिक डोमेन में उपलब्ध कराया जाएगा.".

7. प्ररूप-एक में, —

(एक) पैरा 2 में, शब्द कोष्ठक तथा अंक "मन" (प्रत्येक 80 तोले का 40 सीयर) तथा "पौण्ड" का लोप किया जाए;

(दो) पैरा 4 का लोप किया जाए;

(तीन) पैरा 6 में, शब्द "चैक संलग्न करता हूं/हैं" के स्थान पर शब्द "चालान प्रस्तुत करता हूं/हैं" स्थापित किए जाएं;

(चार) पैरा 8 के स्थान पर, निम्नलिखित पैरा स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"8. गोदाम/गोदामों से संबंधित जानकारी इस प्रकार है :—

गोदाम का स्थान	गोदाम स्वामी का नाम	लंबाई	चौड़ाई	ऊँचाई	कुल क्षमता टन में (लं.चौ.ऊँ.)	अग्निशमन व्यवस्था	दरवाजों एवं खिड़कियों की संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

(पाँच) पैरा 10 का लोप किया जाए;

(छह) पैरा 11 में विद्यमान टिप्पणी के स्थान पर, निम्नलिखित टिप्पणी स्थापित की जाए, अर्थात् :—

"**टिप्पणी.**—गोदाम का संचालन करने के लिये अनुज्ञप्ति हेतु दिए जाने वाले आवेदन के साथ निम्नलिखित संलग्न होंगे:—

(एक) विहित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित व्यक्ति से प्रमाणित वर्तमान वित्तीय विवरण जो आवेदक की आस्तियों और दायित्वों को दर्शाता हो;

(दो) संयुक्त स्टॉक कंपनी की दशा में संगम अनुच्छेद और संगम ज्ञापन, भागीदारी फर्म की दशा में भागीदारी विलेख और सहकारी सोसाइटी की दशा में उपविधियां जो यह दर्शाती हों कि आवेदक गोदाम व्यवसाय करने के लिये विधिपूर्वक प्राधिकृत है;

(तीन) गोदाम का विस्तृत विवरण जो यह दर्शाता हो कि गोदाम उस विशिष्ट उत्पाद का समुचित भण्डारण करने के लिये उपयुक्त है जिसकी अनुज्ञप्ति के लिये आवेदक ने आवेदन किया है;

(चार) सहायक अभियंता की पद श्रेणी से अनिम्न पद श्रेणी के ऐसे अभियंता द्वारा जो सरकार या सार्वजनिक उपक्रम या स्थानीय निकाय के कर्मचारी के रूप में कार्यरत हों, जारी उपयुक्तता-सह-पूर्णता प्रमाण-पत्र;

(पांच) इन नियमों के अधीन यथाविहित अनुज्ञप्ति की फीस का चालान;

(छह) इस संबंध में स्व-घोषणा प्रमाण-पत्र कि जानकारी और दस्तावेज सही हैं;

(सात) बीमा पॉलिसी के दस्तावेज, और

(आठ) सेम्पलर तथा ग्रेडर अनुज्ञप्ति.".

8. मध्यप्रदेश कृषि गोदाम नियम, 1961 के नियम 5 और 8 के अंतर्गत निर्धारित "फार्म 2" को नये "फार्म 2" से प्रतिस्थापित किया जाए.

9. प्ररूप-तीन में, शीर्षक "भण्डारण की शर्तें" के अधीन, पैरा 5 में,—

(एक) शब्द "भाड़ा की पात्रता होने अथवा सेवा दिए जाने पर तत्समय प्रभावशील गोदाम स्वामी की भाड़ा दर से अनधिक होगा," के स्थान पर शब्द "गोदाम स्वामी एवं जमाकर्ता के मध्य निष्पादित संविदा/करार के अनुसार वहन किया जाएगा," स्थापित किए जाए;

(दो) द्वितीय पैरा, जिसमें शब्द "अधिकतम प्रभारित की जाने वाली भाड़ा दर की सूची वह होगी, जो विहित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित की जाए," अंतर्विष्ट हैं, का लोप किया जाए.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. के. चन्देल, उपसचिव.

प्ररूप-दो
(नियम 5 और 8 देखें)
वेयरहाउस संचालन हेतु अनुज्ञप्ति
(मध्यप्रदेश कृषि गोदाम नियम, 1961 के नियम 5 अंतर्गत जारी)
विहित प्राधिकारी का कार्यालय

स्थान ....
दिनांक ....

1. यह अनुज्ञप्ति .... को गोदाम प्रभारी के रूप में व्यापार करने के लिये द्वार क्रमांक .... गली सड़क .... वार्ड .... शहर .... जिला .... पर स्थित वेयरहाउस के लिये मध्यप्रदेश कृषि गोदाम अधिनियम, 1947 के अध्याधीन निर्मित नियम एवं अनुज्ञप्ति की समयावधि एवं शर्तों के अंतर्गत स्वीकृत की गई है.

2. अनुज्ञप्ति वर्ष .... के 30 जून तक के लिये वैध होगी.

3. अनुज्ञप्ति निलंबित अथवा निरस्त होने की दशा में अनुज्ञप्तिधारी अपने आधिपत्य के सभी अप्रयुक्त वेयरहाउस रसीदों सहित इसे विहित अधिकारी को समर्पित करेगा.

4. कृषि उत्पादों को जमा करने, प्राप्त करने अथवा प्रदाय करने के समय का उल्लेख स्पष्ट अक्षरों में वेयरहाउस के प्रवेश द्वार पर किया जायेगा.

5. गोदाम प्रभारी अपने वेयरहाउस को अच्छी एवं उचित दशा में रखेगा.

नियम एवं शर्तें

1. अनुज्ञप्तिधारी विभिन्न समय अन्तरालों पर विहित प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए निर्देशों का पालन करेगा.
2. जमाकर्ता द्वारा वेयरहाउस में जमा कृषि उत्पादों के उचित भण्डारण के लिये अनुज्ञप्तिधारी सभी प्रभावी तरीके अपनायेगा.

(विहित प्राधिकारी की मुद्रा) (विहित प्राधिकारी के हस्ताक्षर)

भोपाल, दिनांक 9 सितम्बर 2015

क्र. एफ 10-11-2015-उन्तीस-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 10-11-2015-उन्तीस-2, दिनांक 9 सितम्बर 2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. के. चन्देल, उपसचिव.

Bhopal, the 9th September 2015

NOTICE

No. F. 11-10-2015-XXIX-2.—The following draft of amendment in the Madhya Pradesh Agricultural Warehouse Rules, 1961, which the State Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 24 of the Madhya Pradesh Agricultural Warehouse Act, 1947 (No. 1 of 1948) is hereby published as required by sub-section (1) of Section 24 of the said Act for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft of amendment shall be taken into consideration on the expiry of thirty days from the date of publication of this notice in the Madhya Pradesh Gazette.

Any objection or suggestion which may be received at Commissioner, Directorate of Food, Civil Supplies and Consumer Protection, Vindhyachal Bhawan, Bhopal from any person with respect to the said draft of amendment before the expiry of the period specified above shall be considered by the State Government.

DRAFT OF AMENDMENT

In the said rules,—

1. In rule 4, for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

"(2) Such application shall be submitted online or at the office of the prescribed authority personally by the applicant or by his agent or sent by registered post addressed to the prescribed authority. The prescribed authority may ask to submit application online only.".

2. Rule 10 shall be omitted.

3. For rule 48, the following rule shall be substituted, namely:—

"48. Display of warehouse information on the departmental website.—Grant of licences to warehouseman as well as suspension or cancellation thereof shall be displayed on the departmental website. ".

4. For rule 49, the following rule shall be substituted, namely:—

"49. Taking over a warehouse.—If, on suspending or cancelling the license of a warehouseman, the prescribed authority is of the opinion that the warehouse should be taken over, it may take over the warehouse and appoint The Madhya Pradesh Warehousing and logistic corporation to conduct the business of the warehouseman for a period to be specified in the order which should be till clearance of stock.".

5. For rule 50, the following rule shall be substituted, namely:—**"50. Restoring or issuing fresh license.**—On the expiration of the period specified in the order, the prescribed authority may restore the licence or issue a fresh licence, as the case may be, if it finds that no cause exists for the suspension or cancellation of the licence.".

6. For rule 52, the following rule shall be substituted, namely:—

"**52. Prescribed authority to maintain register of licences.**—The prescribed authority shall maintain online record of licenses issued by it and it shall be made available for public inspection.".

7. In Form-I,—

(i) In Para 2, the words, brackets and figures "maunds (40 seers of 80 total each)" and pounds shall be omitted;

(ii) Para 4 shall be omitted;

(iii) In Para 6, for the words "enclose a cheque", the words "submit a challan" shall be substituted;

(iv) For para 8, the following para shall be substituted, namely:—

"8. The information regarding the warehouse(s) is as below:—

Location of Warehouse (1)	Name of the Owner (2)	Length (3)	Width (4)	Height (5)	Total capacity in MT (LxWxH) (6)	Fire arrangement (7)	No. of Doors and Windows (8)

(v) Para 10 shall be omitted;

(vi) In para 11, for the existing Note, the following Note shall be substituted, namely:–

"**Note.**—The appllication for a licence to conduct a warehouse should be accompanied by the following:—

(i) Current financial statement, showing the asstes and liabilities of the applicant certified by a person approved by the prescribed authority;

(ii) Articles of Association and Memorandum of Association in case of a joint stock company, partnership deed in case of partnership firm and bye-laws in case of a co-operative society which should show that the applicant is legally authorized to carry on warehousing business;

(iii) Detailed description of the warehouse to show that the warehouse is suitable for proper storage of the particular products for which the applicant has applied for licence;

(iv) Fitness-cum-completion certificate issued by an Engineer not below the rank of Assistant Engineer working as employee of Government or Public undertaking or local body;

(v) Challan of licence fees as prescribed under these rules;

(vi) Self declaration certificate regarding all the information and documents being correct;

(vii) Document of insurance policy; and

(viii) Sampler and Grader licence.".

8. "Form-II" designed under rule 5 and rule 8 of the Madhya Pradesh Agricultural Warehouse Rules, 1961 is substituted with the new "Form-II".

9. In Form-III, under the heading 'Conditions for storage', in Para 5,—

(i) For the words "not exceed the warehouseman's tariff in effect at the time the charge accrues or the service is performed", the words "be borne as per the contract/agreement executed between warehouseman and depositor" shall be substituted;

(ii) The second para which containing the words "The schedule of maximum tariff to be charged shall be that approved by the prescribed authority", shall be omitted.".

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

B. K. CHANDEL, Dy. Secy.

FORM-II

(See rules 5 and 8)

Licence to conduct a warehouse

(Under Rule 5 of the Madhya Pradesh Agricultural Warehouse Rules, 1961)
Office of the Prescribed Authority

Place . . . .
Date . . . .

1. This licence has been granted to . . . . .to carry on business as a warehouseman in respect of warehouse situated at Door No. . . . . . .Street/Road . . . . ward . . . . .Town . . . . District . . . . .subject to the provisions of the Madhya Pradesh Agricultural Warehouse Act, 1947, the Rules made there under and the terms and conditions of the licence.

2. The licence shall be valid upto 30th June . . . .

3. The licence shall in the event of suspension or cancellation of his licence, surrender it to the prescribed authority together with all the unused warehouse receipts in his possession.

4. Hours when agricultural produce can be deposited, received or delivered shall be written in bold letters at the public entrance to the warehouse.

5. The warehouseman shall maintain his warehouse in good and proper condition.

Terms and Conditions

1. The licencee shall comply with the direction issued by the prescribed authority at different time intervals.

2. The licencee shall take all the effective measures for proper storage of the agricultural produce stored in warehouse by depositor.

(Seal of the prescribed authority) (Signature of the prescribed authority)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2015.